

**न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर**

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 22/2016

**प्रार्थी**

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

राजस्थान सरकार  
जरिये तहसीलदार,  
रियाबडी

1नरसिंह 2गणेश 3लिछमण 4सोहन पुत्रान पांचूराम  
5भंवरी पुत्री पांचूराम 6परमा पुत्री पांचूराम  
सभी जातियान कुम्हार निवासीगण थांवला  
तहसील रियाबडी जिला नागौर।  
7अधिसाषी अभियन्ता, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  
केन्द्र सरकार।

उपस्थिति-

- 1- श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
- 2- श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से।

**आदेश**

दिनांक 29-11-2019

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार रियाबडी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है कि मौजा थांवला के खसरा नं. 658, 659, 662, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2202/1, 2202/2, 2202/4, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 675, 650, 661, 660, 678 कुल खसरा-67 कुल रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा भूमि “श्री मंदिर महादेवजी वाके देह बरतमा पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 के कॉलम सं. 5 में खुदकाश्त की भूमि दर्ज रही थी। उसके बाद मूर्ति मंदिर महादेवजी की भूमि में निम्न प्रकार परिवर्तन राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज हुए हैं:-

1(1)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2016 से 2019 के खाता सं. 59 के खसरा नं. 658, 659, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/2, 2202/1, 2202/2, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2 कुल खसरा 57 कुल रकबा 373 बीघा 1 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मंदिर महादेवजी मजकुर दर्ज है। कॉलम सं. 5 पांचू पुत्र सालग कुम्हार साकिन देह संवत् 2012 से 2016 खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676 कुल खसरा 8 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 137 के अमल पांचू पुत्र सालग कुम्हार



  
अपर कलक्टर, नागौर

खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1 कुल खसरा - 9 कुल रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है।

1(2)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2020 से 2023 के खाता सं. 213, खतौनी संवत 2026 से 2029 के खाता सं. 226, खतौनी संवत 2030 से 2033 के खाता सं. 266 तथा खतौनी संवत 2034 से 2037 के खाता सं. 272 के खसरा नं. 669, 670, 673, 674, 675, 678/1, 671, 672, 676 कुल खसरा किता-09 कुल रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 05 मे पांचू पुत्र सालग राम कुम्हार साकिन देह दर्ज है।


1(3)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट 2037 से 2040 खाता सं. 289, खतौनी संवत 2042 से 2045 के खाता सं. 227, खतौनी संवत 2046 से 2049 के खाता सं. 236 खतौनी संवत 2050 से 2053 के खाता सं. 233, खतौनी संवत 2054 से 2057 के खाता सं. 243 के खसरा नं. 669, 670, 673, 674, 675, 678/1, 671, 672, 676 कुल खसरा 09 कुल रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 04 मे पांचूराम पुत्र सालग राम कुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण सं. 1242 के तहत पांचूराम के स्थान पर नरसीराम, गणेशराम, लिछमगणराम, सोहनराम पिता पांचूराम व मु. केली बेवा पांचूराम कुम्हार दर्ज है।

1(4)कि जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2058 से 2061 के खाता सं. 292 के खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 कुल खसरा 12 कुल रकबा 57 बीघा 5 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मे नरसिंह, गणेशराम, लिछमण, सोहनराम पिता पांचूराम व मु. केली बेवा पांचूराम कौम कुम्हार साकिन देह दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 3977 दिनांक 21.05.15 द्वारा नरसिंह, गणेशराम, लिछमण, सोहनराम पिता पांचूराम, भंवरी, परमा पुत्रियां पांचूराम कौम कुम्हार के नाम दर्ज हुआ व नामान्तरकरण सं. 3997 दिनांक 21.05.15 भूमि अवाप्ति द्वारा खसरा नं. 2511/678 रकबा 28 बीघा मे से नये खसरा नं. 3495/678 रकबा 0.734 हैक्ट. गै.मु. सडक, सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार के पक्ष मे दर्ज हुआ व शेष खसरा बदस्तूर है। नामान्तरकरण सं. 4029 दिनांक 21.05.15 भूमि अवाप्ति द्वारा खसरा नं. 669 रकबा 14.08 बीघा मे से नये खसरा नं. 3530/669 रकबा 0.965 हैक्ट. गै.मु. सडक, सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार के पक्ष मे दर्ज हुआ। शुद्धि पत्र सं. 04 दिनांक 11.07.05 खसरा नं. 678/1 के स्थान पर 2511/678 दर्ज किया गया।

2उपरोक्त राजस्व रेकर्ड के परिवर्तन से मूर्ति मंदिर महादेवजी थांवला की भूमि वर्तमान में रेफरेन्स प्रकरण में दर्ज गैरसायल पक्षकारों के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जबकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग होने से उसकी भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण नहीं हो सकता है तथा जो भी ऊपर दर्शाया गया राजस्व रेकर्ड परिवर्तन हुआ है। वह मूर्ति मंदिर महादेव के अधिकारों के विरुद्ध शून्य एवं प्रभावहीन है एवं आरंभ से शून्य है। इसलिये उपरोक्त जमाबंदियों के अन्तरणों को प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

3मंदिर मूर्ति की जमीन का बेचान हस्तान्तरण भी प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) है,



  
अपर कलेक्टर, नागौर

जिसे तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त हस्तान्तरण अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

4 मंदिर मूर्ति की जमीन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त की जावे।

5 माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों, देवस्थान विभाग एवं राज्य सरकार के परिपत्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज रिकार्ड की गयी है तो वह प्रभाव शून्य है। अतः उक्त भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति महादेव के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जावे।

उपरोक्त भूमि के उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में मंदिर की भूमि का राजस्व रिकार्ड में हुए गलत परिवर्तन का अवैध करार दिलाया जाकर निरस्त करवाया जाकर ग्राम थांवला के खाता सं. 292 के खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 कुल खसरा 12 कुल रकबा 57 बीघा 5 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 4 में नरसिंह, गणेशराम, लिछमण, सोहनराम पिता पांचूराम व मु. केली बेवा पांचूराम कौम कुम्हार साकिन देह दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 3977 दिनांक 21.05.15 द्वारा नरसिंह, गणेशराम, लिछमण, सोहनराम पिता पांचूराम, भंवरी, परमा पुत्रियां पांचूराम कौम कुम्हार के नाम दर्ज हुआ व नामान्तरकरण सं. 3997 दिनांक 21.05.15 भूमि अवाप्ति द्वारा खसरा नं. 2511/678 रकबा 28 बीघा में से नये खसरा नं. 3495/678 रकबा 0.734 हैक्ट. गै.मु. सडक, सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार के पक्ष में दर्ज हुआ व शेष खसरा बदस्तूर है। नामान्तरकरण सं. 4029 दिनांक 21.05.15 भूमि अवाप्ति द्वारा खसरा नं. 669 रकबा 14.08 बीघा में से नये खसरा नं. 3530/669 रकबा 0.965 हैक्ट. गै.मु. सडक, सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार के पक्ष में दर्ज हुआ। शुद्धि पत्र सं. 04 दिनांक 11.07.05 खसरा नं. 678/1 के स्थान पर 2511/678 दर्ज किया गया। उक्त भूमि पुनः मूर्ति मंदिर महादेव थांवला के नाम दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं. 7 को रजिस्टर्ड एडी से नोटिस भिजवाया गया। मगर वो अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला की संवत 2012 से 2023, 2026 से 2029, 2030 से 2033, 2037 से 2040, 2046 से 2049, 2054 से 2057 तक की फोटोप्रति, जमाबंदी (खतौनी) ग्राम थांवला संवत 2058 से 2061 तक की तथा ग्राम थांवला के नामान्तरकरण सं. 1242, 3977, 3997 तथा 4029 की फोटोप्रति पेश की गई है।

(3) राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि मौजा थांवला के खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 भूमि




  
अपर कलेक्टर, नागौर

मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जिसमें से वर्तमान में खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 (शुद्धि पत्र से खसरा नं. 2511/678 किये गये हैं) नये खसरा नं. 3495/678, खसरा नं. 669 के नये खसरा नं. 3530/669 अप्रार्थी सं. 1 से 7 के नाम दर्ज है, जो जमाबंदी 2058 से 2061 से सुस्पष्ट है। मूर्ति महादेवजी शाश्वत अव्यस्क है, जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को प्रदान नहीं किये जा सकते। अप्रार्थीगण का जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 तक दिये गये खातेदारी अधिकार कानूनन अवैध है तथा मंदिरों के जायज अधिकार पर बेअसर है। ऐसी भूमि पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावे।

(4) वकील अप्रार्थी सं. 1 से 6 ने राजकीय अधिवक्ता की बहस का जवाब पेश करते हुए बताया कि यह प्रकरण कुल 67 खसरा जिसके रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह थांवला बाबत पेश किया गया है, जिसमें उतरदाता के विरुद्ध खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 रकबा 57.05 बीघा नरसिंह, गणेशराम, लिछमण, सोहनराम पिता पांचूराम व केली बेवा पांचूराम के नाम दर्ज है, नामान्तरकरण सं. 3997 के द्वारा खसरा नं. 2511/678 रकबा 28 बीघा में से खसरा नं. 3495/678 रकबा 0.734 हैक्ट. व नामान्तरकरण सं. 4029 के खसरा नं. 669 रकबा 14.08 बीघा में से नये खसरा नं. 3530/669 रकबा 0.965 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 7 के नाम दर्ज हुआ तथा शुद्धि पत्र सं. 4 दिनांक 11.07.05 के द्वारा खसरा नं. 678/1 के स्थान पर 2511/678 दर्ज किया गया, के विरुद्ध पेश किया गया है, जो कि विधि विरुद्ध तरीके से पेश किया गया है। इसके संबंध में उतरदाता का यह जवाब है कि उक्त भूमि उतरदाता के पूर्वजों के नाम संवत 2016 से ही चलती आ रही है। उतरदाता ने उक्त भूमि पर काफी मात्रा में आर्थिक व शारीरिक श्रम कर उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेने लायक बनाने के लिये अथक परिश्रम किया है। लगभग 50 से 55 सालों से उतरदाता के पूर्वज व उतरदाता द्वारा काश्त के काबिल बनाने के लिये अत्यधिक श्रम खर्च करने के बाद में काश्त के उपयोग में उतरदाता के द्वारा ली जा रही है। अगर इतने सालों तक लगभग 50-60 सालों तक राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही उतरदाता के विरुद्ध नहीं की गई थी, इस कारण अब यह प्रकरण मियाद बाहर भी है। इतना लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करने का तहसीलदार थांवला को कोई अधिकार नहीं है। इस कारण रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला संवत् 2012 से 2015 के अनुसार खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 भूमि श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ रा जातरा नाथ सा. देह दर्ज रही है। जिसमें ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2016 से 2019 के खाता सं. 59, संवत 2020 से 2023 के खाता सं. 213, संवत 2022 से 2025 के खाता सं. 213, संवत 2026 से



  
अपर क्लर्क, नागौर

2029 के खाता सं. 226, संवत 2030 से 2033 के खाता सं. 226, संवत 2034 से 2037 के खाता सं. 272 के खसरा नं. 669, 670, 673, 674, 675, 678/1, 671, 672, 676 रकबा 52.19 बीघा पांचूराम पुत्र सालगराम कौम कुम्हार निवासी थांवला के नाम दर्ज रही है। जमाबंदी संवत 2042 से 2045 के खाता सं. 227 के उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 6 के नाम विरासत से आयी जो जमाबंदी संवत 2046 से 2057 तक इन्ही के नाम दर्ज रही है। जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में नामान्तरकरण सं. 3997 के द्वारा खसरा नं. 2511/678 में से खसरा नं. 3495/678 रकबा 0.734 हैक्ट. व नामान्तरकरण सं. 4029 खसरा नं. 669 रकबा 14.08 बीघा में से खसरा नं. 3530/669 रकबा 0.965 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 7 के नाम दर्ज हुई तथा शुद्धि पत्र सं. 4 दिनांक 11.07.2005 के खसरा नं. 678/1 के स्थान पर 2511/678 किया गया है। जब कि भगवान की मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण को तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार नहीं होने से ग्राम थांवला का नामान्तरकरण सं. 1242, 3977, 3997 तथा 4029 खारिज किया जाकर भूमि पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज की जानी चाहिये।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मौजा थांवला के खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 रकबा 57.05 बीघा भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। मंदिर मूर्ति की जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।

(6) उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा थांवला के खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 (शुद्धि पत्र से खसरा नं. 2511/678 किये गये हैं) नये खसरा नं. 3495/678, खसरा नं. 669 के नये खसरा नं. 3530/669 भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 7 के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत 2016-19 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा थांवला के खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 (शुद्धि पत्र से खसरा नं. 2511/678 किये गये हैं) नये खसरा नं. 3495/678, खसरा नं. 669 के नये खसरा नं. 3530/669 रकबा 57.05 बीघा अप्रार्थी सं. 1 से 7 के नाम दर्ज भूमि पूर्ववत् श्री मंदिर महादेवजी वाके देह के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने हेतु माननीय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(7) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मनोज कुमार)

अपर कलेक्टर, नागौर